



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 05]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 2, 2019/पौष 12, 1940

No. 05]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 2, 2019/PAUSHA 12, 1940

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जनवरी, 2019

का.आ. 8(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और मंत्रालय की अधिसूचना सं. 4151(अ), दिनांकित 23.12.2016 का अधिक्रमण करते हुए एतद्वारा निदेश देती है कि राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड कालम (1) में राष्ट्रीय राजमार्ग के उक्त तालिका के कालम (2) में यथा-विनिर्दिष्ट सदृश खंड का निम्नलिखित तालिका के कालम (3) तथा कालम (4) में यथा-विनिर्दिष्ट खंड का विकास तथा अनुरक्षण संबंधी कार्य करेगा।

उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रमशः कॉलम सं. (1), (2), (3) और (4) के अंतर्गत निम्नलिखित प्रविष्टियों का विलोप किया जाएगा:-

नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	पुरानी राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	खंड	खंड कि.मी. में
(1)	(2)	(3)	(4)
10	31ए	(रंगपो – गंगटोक खंड) (सिक्किम राज्य में)	किमी 52.00 से किमी 80.00

उक्त अधिसूचना की सारणी में, निम्नलिखित प्रविष्टियां क्रमशः कॉलम सं. (1), (2) और (3) के अंतर्गत प्रतिस्थापित की जाएंगी:-

नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	खंड	खंड किमी में
(1)	(3)	(4)
10*	(रंगपो – गंगटोक खंड)	किमी 52.00 से किमी 80.00

	(सिक्किम राज्य में)	
--	---------------------	--

*पुरानी रारा सं. 31ए

[फा. सं. एनएच-14013/20/2014-पी एंड एम(पार्ट)]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd January, 2019

S.O. 8(E).—In exercise of powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), and in supersession to this Ministry's Notification No. 4151(E) dated 23.12.2016, the Central Government hereby directs that the National Highways & Infrastructure Development Corporation Limited shall exercise the function relating to the development and maintenance of the stretch as specified in column (3) and column(4) of the following Table, of the corresponding section as specified in Column (2) of the said Table, of the National Highways as described in column (1) thereof.

In the Table to the said notification, the following entries, under columns number (1), (2), (3)and (4) respectively shall be omitted:-

New National Highway number	Old National Highway No.	Section	Stretch in kilometers
(1)	(2)	(3)	(4)
10	31A	(Rangpo-Gangtok Section) (In the State of Sikkim)	Entire NH falling in the State of Sikkim

In the Table to the said notification, the following entries, under columns number (1), (2) and (3) respectively shall be substituted:-

New National Highway number	Section	Stretch in kilometers
(1)	(2)	(3)
10*	(Rangpo-Ranipool Section) (In the State of Sikkim)	Km 52.00 to Km 80.00

* Old NH No. 31A

[F. No. NH-14013/20/2014-P&M(pt)]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जनवरी, 2019

का.आ. 9(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निदेश देती है कि इसके साथ संलग्न तालिका के कॉलम (2) में वर्णित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग के सामने तालिका के कॉलम (3) में विनिर्धारित कार्य इस शर्त के अधीन राज्य सरकारों द्वारा पूरे किए जाएंगे कि संबंधित राज्य सरकार उक्त अधिनियम के

अधीन वर्तमान में लागू नियमों का अनुपालन करने के लिए ऐसे कार्यों को करने के लिए बाध्य होगी और उस प्रयोजनार्थ भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग), की अधिसूचना सं. का.आ. 1096 (अ), दिनांकित 4 अगस्त, 2005 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 35 के लिए तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

सारणी

1	2	3
“35	नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 10 [कि.मी. 52.00 से कि.मी. 80.00 (रंगपो – रानीपूल खंड) तक खंड को छोड़कर], 310ए, 510 और 710 के उतने भाग जो सिक्किम राज्य में अवस्थित हैं।	सिक्किम राज्य सरकार”

[फा. सं. एनएच-14013/20/2014-पी एंड एम(पार्ट)]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना को का.आ. सं. 1096 (अ), दिनांकित 4 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे पिछली बार का.आ. सं. 5666(अ), दिनांकित 8 नवंबर, 2018 द्वारा संशोधित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd January, 2019

S.O. 9(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O. 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:-

In the said notification, in the Schedule, for serial number 35 & and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

TABLE

(1)	(2)	(3)
“35	So much of New National Highways No. 10 [excluding from km. 52.00 to km. 80.00 (Rangpo-Ranipool Section)], 310A, 510 and 710 as are situated within the State of Sikkim.	State Government of Sikkim.”

[F. No. NH-14013/20/2014-P&M (pt)]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.

Note: The principal notification was published vide number S.O.1096 (E), dated the 4th August, 2005 and was last amended vide number S.O. 5666 (E), dated the 8th November, 2018.